राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1188/2023

कौशल्या गढवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू डिवीजन, चूरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सीकर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खंडेला, सीकर।
6. सैयद मुंशीर अहमद पुत्र श्री सैयद मुनीर अहमद जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.03.2023
आदेश की दिनांक : 21.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सारा प्रवीण, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की एमएससी की योग्यता को जोडते हुये स्कूल व्याख्याता की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता प्रदान करते हुये जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2015–16 से वरिष्ठता का सही निर्धारण करते हुये व्याख्याता के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के बजाय वर्ष 2015–16 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति दी जावे तथा उचित वरिष्ठतानुसार उप प्रधानाचार्य के पद पर डीपीसी वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 21.04.2005 के द्वारा हुई थी, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन करते समय अपनी योग्यता का अंकन किया था कि अपीलार्थी ने माध्यमिक शिक्षा वर्ष 1992, उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ष 1994, स्नातक योग्यता वर्ष 1997, स्नात्कोत्तर योग्यता वर्ष 2000 एवं बी.एड. योग्यता वर्ष 2002 में उत्तीर्ण की है। विभाग द्वारा व्याख्याता के पद के लिये वर्ष 2015–16 में डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव एवं स्नात्कोत्तर डिग्री/डिप्लोमा आवश्यक था। अपीलार्थी उक्त योग्यता पूर्ण करता था, फिर भी उसके नाम पर 2015–16 की डीपीसी में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया तथा डीपीसी वर्ष 2016–17 में अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने डीपीसी वर्ष 2015–16 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया और इस प्रकार डीपीसी वर्ष 2022–23 में उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु जो अपीलार्थी से कनिष्ठ थे उनके नाम पर विचार किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की एमएससी की योग्यता को जोडते हुये स्कूल व्याख्याता की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता प्रदान करते हुये जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2015–16 से वरिष्ठता का सही निर्धारण करते हुये व्याख्याता के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के बजाय वर्ष 2015–16 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति दी जावे तथा उचित वरिष्ठतानुसार उप प्रधानाचार्य के पद पर डीपीसी वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित योग्यताओं के अंकन हेतु जारी आदेश दिनांक 05.08.2015 के द्वारा किया गया है तथा अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 में व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी व्याख्याता पद पर प्रदान की गई पदोन्नति वर्ष 2016–17 के अनुसार अर्जित वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 2022–23 में उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की योग्यता नहीं रखती है। प्रार्थना पत्र केवल मात्र एमए (अंग्रेजी) में बैठने की

अनुमति प्राप्त करने से संबंधित है, केवल मात्र परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने मात्र से योग्यता अर्जित नहीं की जाती है। अपीलार्थी द्वारा उक्त योग्यता वर्ष 2008 में अर्जित किये जाने के उपरांत भी वर्ष 2015 में जुडवाई गई योग्यता के द्वारा वरिष्ठता सूची में दर्ज नहीं करवाई गई। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 की योग्यताओं का आवश्यक इंद्राज वरिष्ठता सूची में होने के कारण निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई और अर्जित योग्यता के आधार पर वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी उचित योग्यता रखती है, परंतु विभाग द्वारा समय पर अपीलार्थी द्वारा अर्जित की गई योग्यता का अंकन नहीं किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति से वंचित होना पडा और उससे कनिष्ठ निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को पदोन्नति प्रदान की गई और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जो नियम विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थी द्वारा विभाग से स्नात्कोत्तर योग्यता अर्जित करने हेतु अनुमति प्राप्त की गई और विभाग की अनुमति पश्चात् ही अपीलार्थी ने स्नात्कोत्तर योग्यता अर्जित की, फिर भी उसकी योग्यता का इंद्राज समय पर नहीं किये जाने से अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति से वंचित होना पड़ा, जो नियमों के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 21.04.2005 के द्वारा हुई थी, जिसमें अपीलार्थी ने वरिष्ठ अध्यापक पद के लिये आवेदन करते समय अपनी योग्यता का आवेदन में अंकन किया था कि अपीलार्थी ने माध्यमिक शिक्षा वर्ष 1992, उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ष 1994, स्नातक योग्यता वर्ष 1997, स्नात्कोत्तर योग्यता वर्ष 2000 एवं बी.एड. योग्यता वर्ष 2002 में उत्तीर्ण की है, जो

आवेदन पत्र अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है और वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयनोपरांत अपीलार्थी की योग्यता उसकी सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर बिंदु संख्या 5 पर एमएससी योग्यता का अंकन है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की उक्त योग्यता को नजरअंदाज करते हुये उसे रिक्ति वर्ष 2015–16 के बजाय 2016–17 में रिव्यू डीपीसी आयोजित कर व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त मामले के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। तदुपरान्त विभाग द्वारा अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जो हमारे मत में उचित एवं नियमानुसार नहीं है। अपीलार्थी व्याख्याता के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के बजाय वर्ष 2015–16 में ही सेवा पुस्तिका में दर्ज स्नात्कोत्तर योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने की हकदार थी। परंतु विभाग द्वारा उसे रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो उचित प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में दर्ज योग्यता को ध्यान में रखते हुये रिव्यू डीपीसी आयोजित कर उसे रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और यदि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पायी जाती है तो उसे जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान करते हुये नियमानुसार समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें और रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाये जाने पर उसके नाम पर विचार किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)